राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खण्डेला बनाम छीतरमल

दिनांक	आज्ञा पत्र
18.6.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उप. अपीलांट के प्रा. पत्र 02/2/24 पेश किया, प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रा. पत्र का अवलोकन किया। बाद पर मनन किया। न्यायहित में प्रा. पत्र 02/2/24 CPC स्वीकार किया जाता है बाद तामील रेस्पोंडेंट ... दिनांक 15.7.24 को पेश हो।
15.7.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उप. रेस्पोंडेंट शेष पेश किया ... बाद इंतजार तामील दिनांक 1.8.24 को पेश हो।
1.8.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उप. रेस्पो. संख्या के नोटिस ... गये हैं जो ना तो ... आये हैं ... तामील होकर आये। न्यायहित में रेस्पो. 2,3, 4,6,11,12,13,17 व 18/8 की तामील मानी जाती है। बास्ते बहस दिनांक 23.8.24 को पेश हो।
23/8/24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5.9.24 को पेश हो।
5.9.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 64 / 2013

1 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खण्डेला जरिए प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद पुत्र सुखाराम जाति बलाई निवासी दूधवालों का बास खण्डेला जिला सीकर राज.।

अपीलांट

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

बनाम

1 छीतरमल पुत्र भोलू जाति माली निवासी उदयपुरवाटी रोड़ बस स्टेण्ड के पास खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।

2 गोदूराम पुत्र गणेश

3 मंगलचन्द पुत्र गणेश

4 बनवारी पुत्री गणेश

समस्त जाति माली निवासीगण टीबावाली ढाणी दायरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

5 गुलझारी पुत्र नारायण उर्फ नानग पुत्र सुण्डा

6 रिछपाल पुत्र नारायण उर्फ नानग पुत्र सुण्डा

जाति माली निवासीगण उदयपुरवाटी रोड बस स्टेण्ड के पास खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर

7 नाथूराम पुत्र सुरजा

8 लालचन्द पुत्र सुरजा

जाति माली निवासीगण उदयपुरवाटी रोड बस स्टेण्ड के पास खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर

9 कालूराम पुत्र मुडला उर्फ मुरली निवासी कांवट रोड़ खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

10 रिछपाल पुत्र औंकार जाति माली निवासी मोहल्ला गुवाडा खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।

11 सरस्वती देवी बेवा मूलचन्द पुत्रवधु मुखाराम पुत्र टीकू

12 शंकर पुत्र मूलचन्द पौत्र मुखाराम

13 बाबूलाल पुत्र मूलचन्द पौत्र मुखाराम

14 कमली बेवा भागचन्द पुत्रवधु मुखाराम पुत्र टीकू

समस्त जाति माली निवासीगण पुलिस थाना के पास खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।

15 भानाराम पुत्र मुखाराम जाति माली निवासी रोयल रोड़ खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।

16 माया देवी बेवा खेताराम पुत्रवधु मुखाराम जाति माली निवासी पुलिस थाना के पास खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।

17 मोहनलाल पुत्र मूलाराम उर्फ गुल्लाराम पुत्र गंगूराम

18 बनवारी (फौत)

18/1 श्रवणी देवी उम्र 63 साल पत्नी बनवारी

18/2 रामचन्द्र उम्र 42 साल पुत्र बनवारी

18/3 राजू उम्र 38 साल पुत्र बनवारी

18/4 लिछमी उम्र 44 साल पुत्री बनवारी

18/5 मंजू उम्र 40 साल पुत्री बनवारी

18/6 नन्छी देवी उम्र 36 साल पुत्री बनवारी

18/7 ममता उम्र 34 साल पुत्री बनवारी

18/8 सुनिता उम्र 26 साल पुत्री बनवारी समस्त जाति माली निवासीगण टीबा की ढाणी दायरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

19 पटवारी हल्का खण्डेला जिला सीकर।

20 उप पंजीयक मय उप तहसील खण्डेला जिला सीकर।

21 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन सत्यमेव जयते सीकर

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांकित 30.12.2012 न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला सीकर पीठासीन अधिकारी श्री सत्यपाल सिंह आरएएस मुकदमा नम्बर 130/2012 बउनवानी रा.उ.मा.वि. बनाम छीतरमल आदि आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामनिवास रायल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 5.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 130/2012 में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उभयपक्ष को ताफैसला वाद मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के पाबंद कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... सत्यमेव जयते सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि कस्बा खण्डेला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की तन में कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 1040 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1042 रकबा 1.01 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.41 हैक्टेयर पुराना खसरा नम्बर 399 मी. 400 मी. 398/1, 390/1, 399/2, 400/2, 401/1 अवस्थित है जिसमें से खसरा संख्या 1042 में अपीलान्ट स्कूल का भवन एवं चारदीवारी बनी हुई है तथा खसरा संख्या 1040 अपीलान्ट स्कूल का खेल का मैदान है एवं कानून सन् 1936 से ही स्थापित है इन भूमियों के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में छीतर पुत्र भोलू, गणेश पुत्र भूरा हिस्सा 1/2 नारायणमल, सुरजा पुत्रगण सूण्डा हिस्सा 1/2 जाति माली 3 बीघा 18 बिश्वा, गुडला पुत्र लाल ओकार पुत्र चन्द्रा, टीकु पुत्र माना, मूलाराम पुत्र गंगूराम जाति माली सा.दे. का नाम दर्ज है जिनमें से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को छोड़कर सभी का स्वर्गवास हो जाने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 18 उनके वारिसान है इन सभी के विरूद्ध अपीलान्ट ने माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तूत किया जिस पर रेस्पोडेन्टस की तामील होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 18 जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए एवं अलग-अलग जवाब प्रस्तुत किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18 ने विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.07.2012 को राजीनामा प्रस्तुत किया जिसे विचारण न्यायालय ने दिनांक 30.07.2012 को तस्दीक किया उक्त रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18 ने वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1040 व 1042 अपीलान्ट के ही कब्जा अधिकार एवं खातेदारी का होना एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अन्य रेस्पोडेन्ट के पूर्वजो का नाम गलती से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने एवं अपीलान्ट के पक्ष में खसरा संख्या 1040 व 1042 वाके खण्डेला की खातेदारी वादी/अपीलान्ट के नाम दर्ज करने पर सहमति प्रदान की तथा अन्य रेस्पोडेन्ट ने अलग-अलग जवाब प्रस्तुत करके खसरा संख्या 1042 सम्पूर्ण पर तो अपीलान्ट का कब्जा होना स्वीकार किया परन्तु

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

खसरा संख्या 1040 की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का कब्जा होना गलत रूप से अपने जवाब में अंकित किया जबकि खसरा संख्या 1040 सम्पूर्ण के राजस्व रिकार्ड में ना तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 का नाम दर्ज है ना ही उनका कब्जा है ना ही कब्जा होना सम्भव है ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 अथवा अन्य रेस्पोडेन्ट ने कभी काश्त की। इसके अलावा विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के आवेदन पर तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जिसने विचारण न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें भी वादग्रस्त कृषि भूमि पर काश्त किया जाना नहीं बताया। ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 का कब्जा होना बताया परन्तु विचारण न्यायालय ने चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित कर खसरा नम्बर 1040 व 1042 वाके ग्राम खण्डेला के संबंध में मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए ताफैसला वाद, रेस्पोडेन्ट के साथ साथ अपीलान्ट को भी अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित कर दिया जबकि प्रथम दृष्टया केस अपीलान्ट के पक्ष में था तथा अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलान्ट के पक्ष में था फिर भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को प्रतिबंधित कर दिया जिस कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त "आरबीट्रेरी" होने के कारण अपीलान्ट को प्रतिबंधित करने की हदतक, अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है। विचारण न्यायालय के निर्णय के पृष्ठ संख्या 6 पर खसरा नम्बर संख्या 1040 पर काश्त नहीं होना एवं अप्रार्थीगण द्वारा काश्त किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाना अंकित किया है जिससे स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1040 अपीलान्ट स्कूल का खेल का मैदान है जिसको अपीलान्ट विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र खेलकूद एवं शारीरिक व्यायाम के काम में लेते है तथा खसरा संख्या 1042 में बने स्कूल भवन में अध्ययन करते है फिर भी विचारण न्यायालय ने यथास्थिति से अपीलान्ट को भी प्रतिबंधित कर दिया जिस कारण अपीलान्ट विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों का अध्ययन कार्य एवं खेलकूद, शारीरिक व्यायाम प्रभावित होने की प्रबल सम्भावना बन गई है इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध पारित निर्णय को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादग्रस्त आराजियात की खातेदारी अप्रार्थीगण व उनके पूर्वजों के नाम से दर्ज रिकार्ड है। गिरदावरीयान के अवलोकन से खसरा नम्बर 1042 में स्कूल भवन का अंकन होना पाया गया है। रिपोर्ट मौका कमिश्नर में भी सुस्पष्ट रूप से उक्त खसरा नम्बर में रा.उ.मा.वि. का भवन एंव पुख्ता चार दिवारी होना अंकित किया गया है। रिपोर्ट मौका कमिश्नर में खसरा नम्बर 1042 मौके पर खाली होना तथा बिलायती कीकर के पेड़ होना, खाद की कुरड़ी पड़ी होना अंकित किया गया है अर्थात मौके पर उक्त खसरा नम्बर पर काश्त नहीं हो रही है। प्रस्तुत जवाब अप्रार्थीगण में भी खसरा नम्बर 1042 पर विद्यालय भवन होना एवं खसरा नम्बर 1040 अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 4 के हिस्से में आना स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि खसरा नम्बर 1042 पर प्रार्थी विद्यालय काबिज है केवल राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों के नाम से अंकित है। रिपोर्ट मौका कमिश्नर से यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1040 पर काश्त होना नहीं पाया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा भी काश्त किए जाने सम्बन्धी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। खसरा नम्बर 1040 का उपयोग प्रार्थी विद्यालय द्वारा किया जा रहा हो, ऐसा साक्ष्य प्रार्थी विद्यालय द्वारा भी पेश नहीं किया गया है। उक्त समस्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1042 विद्यालय प्रार्थी के उपयोग में आ रहा है तथा खसरा नम्बर 1040 मौके पर खाली पड़ा है। विवादग्रस्त आराजियात के हक हकूक का निर्णय मूलवाद में होगा। वर्तमान में प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर ही विचार किया जाना है। विवादग्रस्त आराजियात की मौका स्थिति एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति एवं परिस्थिति जनक साक्ष्यों को मध्य नजर रखते हुये प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु को मध्य नजर रखा जाना है। विवादग्रस्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

7

आराजी में से खसरा नम्बर 1042 पर विद्यालय भवन होना स्पष्ट रूप से प्रार्थी के पक्ष में है तथा खसरा नम्बर 1040 का उपयोग एवं कब्जे की स्थिति स्पष्ट नहीं होना स्पष्ट रूप से सिद्ध है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त आराजियात की खातेदारी अप्रार्थीगण व उनके पूर्वजों के नाम से दर्ज रिकार्ड है। गिरदावरीयान के अवलोकन से खसरा नम्बर 1042 में स्कूल भवन का अंकन होना पाया गया है। रिपोर्ट मौका कमिश्नर में भी सुस्पष्ट रूप से उक्त खसरा नम्बर में रा.उ.मा.वि. का भवन एंव पुख्ता चार दिवारी होना अंकित किया गया है। रिपोर्ट मौका कमिश्नर में खसरा नम्बर 1042 मौके पर खाली होना तथा बिलायती कीकर के पेड़ होना, खाद की कुरड़ी पड़ी होना अंकित किया गया है अर्थात मौके पर उक्त खसरा नम्बर पर काश्त नहीं हो रही है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि खसरा नम्बर 1042 पर प्रार्थी विद्यालय काबिज है केवल राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों के नाम से अंकित है। रिपोर्ट मौका कमिश्नर से यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1040 पर काश्त होना नहीं पाया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा भी काश्त किए जाने सम्बन्धी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त समस्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1042 विद्यालय प्रार्थी के उपयोग में आ रहा है तथा खसरा नम्बर 1040 मौके पर खाली पड़ा है। विवादग्रस्त आराजियात के हक हकूक का निर्णय मूलवाद में होगा। वर्तमान में प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर ही विचार किया जाना है। विवादग्रस्त आराजियात की मौका स्थिति एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति एवं परिस्थिति जनक साक्ष्यों को मध्य नजर रखते हुये प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु को मध्य नजर रखा जाना है। विवादग्रस्त आराजी में से खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नम्बर 1042 पर विद्यालय भवन होना स्पष्ट रूप से प्रार्थी के पक्ष में है तथा खसरा नम्बर 1040 पर रेस्पोडेन्ट की कब्जे का कोई साक्ष्य नहीं है। इसके उपरांत भी विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से उभयपक्ष को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति से पाबंद करने का आदेश पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं रेस्पोडेन्ट को ताफैसला वाद विवादित भूमि खसरा नम्बर 1040, 1042 की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 5.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर